

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मोप्र०)



(73)

R. 2222-II/14

1. कृष्णा इन्फास्टकचर सतना द्वारा श्री नरसिंहलाल मोर्डिया तनय स्व० श्री छिन्कूराम मोर्डिया निवासी कोतवाली चौक सतना (मोप्र०)
2. गिरीशपुरी तनय श्री चरणजीत पुरी निवासी कृष्णनगर सतना जिला सतना (मोप्र०)
- तरविन्दर सिंह तनय श्री मदन सिंह मिन्हास निवासी फैण्डस कालोनी सतना जिला सतना (मोप्र०)
- सुशील बन्ना तनय श्री वीरभान बन्ना निवासी पारसकालोनी सतना जिला सतना (मोप्र०) ----- निगराकारण

बनाम

भागवत सिंह तनय श्री बद्री सिंह निवासी गुलुआ हाल मुकाम गुलई तहसील रघुराजनगर जिला सतना (मोप्र०)

2. शासन मोप्र० ----- गैर निगराकारण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्र०भ०रा०सं०

1959 विलद्ध आदेश तहसीलदार रघुराजनगर वृत्त सतना द्वितीय जिला सतना (मोप्र०) के राजस्व प्रकरण क्रमांक-4312/13-14 में पारित आदेश दिनांक 07.06.14

मान्यवर,

निगराकारण निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगराकार क्रमांक-1 द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गौजा गुलुआ की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

(७७)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-२२११-की/१५

जिला - भूतना

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
(३१।९।१८)	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....की जाई दी गई है। इसके प्रकरण क्रमांकप.क. १२।१३ नं. ५..... में पारित आदेश दिनांक१.६.१५..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतुको भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.१०.१९..... कोको भेजा जाता है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p> 	